जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-11.08.2025**

प्रेस नोट

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई कैराना-कांधला मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व थ्री व्हीलर टैम्पो बरामदः-

ज्ञात हो आज दिनांक 10.08.2025 को कैराना-कांधला मार्ग पर सड़क किनारे बाग में मृतक असलम पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियो, थाना कैराना पुलिस तथा फील्ड़ यूनिट द्वारा मौके पर पहुचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये । थाना कैराना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री आबिद पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में टीमें गठित की गयी ।

इसी क्रम में दिनांक 10.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कैराना की संयुक्त त्वरित कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-कांधला मार्ग पर सड़क किनारे बाग में हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व थ्री व्हीलर टैम्पो बरामद हुआ है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरणः- मृतक असलम की पत्नी आसमीन का प्रेम-प्रसंग इतजार पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला ईदगाह के पास थाना कांधला जनपद शामली से हो गया था । इस बात की जानकारी मृतक असलम को हो गयी थी, जिसका असलम विरोध करता था । मृतक असलम नें आसमीन पुत्री हमीद निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्ठी थाना बालेनी जनपद बागपत से प्रेम विवाह किया था । प्रेम-प्रसंग के चलते मृतक की पत्नी आसमीन द्वारा अपने भाई हारुन व इतंजार के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी गयी । मृतक असलम द्वारा आसमीन से प्रेम विवाह करने को लेकर आसमीन का भाई हारुन मृतक असलम से क्षुब्ध रहता था ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इंतजार पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला ईदगाह के पास थाना कांधला जनपद शामली ।

2.हारुन पुत्र हमीद निवासी ग्राम फतेहपुर पुट्ठी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3.श्रीमती आसमीन पत्नी असलम निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त आलाक्तल छुरा ।

2.घटना में प्रयुक्त थ्री व्हीलर टैम्पो।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली मय टीम।

2.निरीक्षक श्री समयपाल अत्री एसओजी प्रभारी जनपद शामली मय टीम।

3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह सर्विलांस प्रभारी जनपद शामली मय टीम।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद।</u>

ज्ञात हो दिनांक 07.08.2025 को समय करीब 09.40 बजे शहनवाज पुत्र जमील निवासी ग्राम झारगढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा अपनी पत्नी के साथ मो0सा0 प्लेटिना रजि0नं0 HR42F0341 से अपनी पत्नी की रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जा रहे थे। ग्राम ईस्सोपुर खुरगान से पहले कैराना-खुरगान मार्ग पर 02 मो0सा0 पर सवार तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शहनवाज उपरोक्त को रोककर गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल

को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा शहनवाज उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। थाना कैराना पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली व अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये थे। मृतक शहनवाज की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 473/2025 धारा 103(1)बीएनएस बनाम मो0सा0 सवार तीन -चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्तगण तसव्वर व शुऐब को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध तमंचा-कारतूस, अवैध चाकू व मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार व मृतक की पत्नी महफरीन को घटना में संलिप्त होने पर गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त आसिफ पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त डंडा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आसिफ पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 राहुल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 3000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1991 में अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामपाल निवासी किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 226/1991 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.08.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2025 में अभियुक्त विनय पुत्र श्रीपाल निवासी मौहल्ला आलदरम्यान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 142/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 11.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अजय पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम ऊदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.हे0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 मुकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा खोये हुए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी के सुपुर्द किया गयाः-</u>

पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा आमजनमानस के खोये हुए मोबाइलों के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना झिंझाना पुलिस को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 10.08.25 को आवेदक विपिन कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी मौ० माजरा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ने थाना झिंझाना पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसका मोबाईल फोन ओपो एफ 27 (5जी) झिंझाना में कही गुम हो गया है जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुये आवेदक के फोन की तलाश करते हुये तत्परता से आवेदक का फोन सकुशल बरामद किया गया तथा बरामदा मोबाईल फोन को आवेदक श्री विपिन कुमार उपरोक्त को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामी द्वारा थाना झिंझाना पुलिस व उच्चाधिकारीगणों का आभार व्यक्त किया गया।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बरामद किये गये मोबाइल का विवरण-</u>

1.OPPO F27 5G (मोबाइल की कीमत करीब 20,000 रुपये)।

<u>मोबाईल बरामद करने वाली पुलिस टीम-</u>

1.प्र0नि0 जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 हरीशचन्द त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI